

आपराधिक मामलों में बरी हुए व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियाँ

प्रलिस के लिये:

[भारत-तबिबत सीमा पुलिस \(ITBP\)](#), [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम \(POCSO\)](#), 2012, नैतिक अधमता, [भारतीय दंड संहिता, 1860](#), [केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल \(CAPF\)](#),

मेन्स के लिये:

नैतिक अधमता और रोज़गार नरिण्यों पर इसके प्रभाव से जुड़े मामलों में दोषमुक्तिपर वचिार ।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र को नरिदेश दिया कि वह [भारत-तबिबत सीमा पुलिस \(ITBP\)](#) में कांस्टेबल के रूप में हरियाणा के एक व्यक्तिकी नयुक्तिपर पुनर्वचिार करे, क्योंकिउसे [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम \(POCSO\)](#), 2012 के तहत वर्ष 2019 के मामले में बरी कर दिया गया था ।

- गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA) द्वारा जारी आदेश ने नैतिक अधमता के आधार पर व्यक्तिकी नयुक्तिरिद कर दी ।

नैतिक अधमता क्या है?

- "नैतिक अधमता (moral turpitude)" शब्द, जैसा किपी. मोहनसुंदरम बनाम राष्ट्रपति, 2013 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, में एक वशिषिट परिभाषा का अभाव है ।
- इसमें न्याय, ईमानदारी, शील या अच्छी नैतिकता के विपरीत कार्य शामिल हैं, जो ऐसे आचरण के आरोपी व्यक्तिके भ्रष्ट और दुष्ट चरतिर या स्वभाव का सुझाव देते हैं ।

क्या है मामला?

- वर्ष 2022 में अनुकंपा के आधार पर नयुक्ति कांस्टेबल को प्रवेशन यौन उत्पीड़न से संबंधितPOCSO अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत वर्ष 2018 के आपराधिक मामले में बरी होने का खुलासा करने के बाद अपनी नयुक्तिरिद करने का सामना करना पड़ा ।
- इसके अलावा, उन्हें [भारतीय दंड संहिता \(IPC\), 1860](#) की कई धाराओं के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा, जनिमें ज़हर, अपहरण और आपराधिक संबंधी धमकी से नुकसान पहुँचाने से संबंधित अपराध शामिल थे ।
- वर्ष 2019 में कैथल कोर्ट (हरियाणा) द्वारा सभी आरोपों से बरी किये जाने के बावजूद, उन्हें अपनी नयुक्तिरिद करने का सामना करना पड़ा ।
 - यह कार्रवाई गृह मंत्रालय द्वारा [केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों \(CAPF\)](#) में नयुक्तियों के लिये जारी एक नीतिके अनुसार की गई थी, जो उन व्यक्तियों के लिये की गई थी जनि पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वे परीक्षण के अधीन हैं या पूछताछ के अधीन हैं ।
 - आपराधिक मामले में गंभीर आरोपों या नैतिक अधमता का सामना करने वाले व्यक्तियों को, भले ही बाद में संदेह के लाभ या गवाह को डराने-धमकाने के कारण बरी कर दिया गया हो, आम तौर पर CAPF में नयुक्ति के लिये अनुपयुक्त माना जाता है ।

लोक सेवा में आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों की नयुक्तिहेतु न्यायालय ने क्या आदेश नरिधारति किये हैं?

- अवतार सहि बनाम भारत संघ, 2016 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक आपराधिक मामले में शामिल उम्मीदवार की नियोक्ता पर वचिार किया।
 - इसने नरिणय सुनाया ककिस्ी उम्मीदवार की सज़ा, दोषमुक्ता, गरिफ्तारी या लंबति आपराधिक मामले के बारे में नयिोक्ता को दी गई जानकारी सच होनी चाहयि और बनिा कसिी दमन या गलत जानकारी के होनी चाहयि।
 - ऐसे मामलों में दोषसदिधि के लयि जो मामूली नहीं हैं, नयिोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है या उसकी सेवाएँ समाप्त कर सकता है।
- यदकि कोई बरी नैतिकि अधमता या तकनीकी आधार पर गंभीर अपराध से जुडे मामले में हुआ है और यह स्पष्ट बरी नहीं है या उचति संदेह पर आधारति है, तो नयिोक्ता व्यक्ता की पृष्ठभूमि के बारे में सभी प्रासंगकि जानकारी का आकलन कर सकता है तथा कर्मचारी की सेवा-नरितरता के संबंध में उचति नरिणय ले सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय में सतीश चंदर यादव बनाम भारत संघ, 2023 मामला "आपराधिक मामले में बरी होने से उम्मीदवार स्वचालति रूप से पद पर नयिुक्ता का हकदार नहीं होगा" और यह अभी भी नयिोक्ता के लयि उनके पूर्ववृत्त पर वचिार करने तथा उम्मीदवार के रूप में उनकी उपयुक्ता की जाँच करने हेतु खुला रहेगा।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधनियम, 2012 क्या है?

- परिचय:
 - **POCSO अधनियम 14 नवंबर, 2012** को लागू हुआ, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसरण के परिणामस्वरूप अधनियमति किया गया था।
 - इस वशिष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन शोषण के अपराधों को संबोधति करना है, जनिहें या तो वशिष रूप से परिभाषति नहीं किया गया था या पर्याप्त रूप से दंडति नहीं किया गया था।
 - अधनियम 18 वर्ष से कम आयु के कसिी भी व्यक्ता को बच्चे के रूप में परिभाषति करता है। अधनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा का प्रावधान करता है।
 - अपराधयिों को रोकने और बच्चों के खलिाफ ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से, बच्चों पर यौन अपराध करने के लयि **मृत्युदंड सहति अधिकि कठोर सज़ा का प्रावधान** करने हेतु वर्ष 2019 में अधनियम की समीक्षा तथा संशोधन किया गया।
 - भारत सरकार ने **POCSO नयिम, 2020** को भी अधसूचति कर दयिा है।
- वशिषताएँ:
 - **लगि-नषिपक्ष प्रकृति:**
 - अधनियम के अनुसार **लडके तथा लडकयिँ** दोनों यौन शोषण के शकिार हो सकते हैं और पीडति के लगि की परवाह कयि बनिा ऐसा दुरव्यवहार एक अपराध है।
 - यह इस सदिधांत के अनुरूप है कसिभी बच्चों को यौन दुरव्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधिकार है तथा लगि के आधार पर कानूनों को भेदभाव नहीं करना चाहयि।
 - **मामलों की रपिर्टगि में आसानी:**
 - न केवल व्यक्तायिों द्वारा बल्कि संस्थान भी अब नाबालगिों के साथ यौन दुरव्यवहार के मामलों की रपिर्ट करने के लयि पर्याप्त रूप से जागरूक हैं क्योकि **रिपिर्ट न करना POCSO अधनियम के तहत एक वशिषिट अपराध** बना दयिा गया है। इससे बच्चों से संबंधति यौन अपराधों को छपिना तुलनात्मक रूप से कठनि हो गया है।

भारत-तबिबत सीमा पुलसि बल (ITBPF) क्या है?

- भारत-तबिबत सीमा पुलसि बल (Indo-Tibetan Border Police Force- ITBPF) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक **केंद्रीय सशस्त्र पुलसि बल (Central Armed Police Force)** है।
 - ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को **भारत-चीन युद्ध** के दौरान की गई थी तथा यह एक सीमा सुरक्षा पुलसि बल है जो उच्च तुंगता वाले अभयानों में वशिषज्जता रखता है।
 - वर्तमान में **ITBP** लद्दाख में **काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक** 3,488 कमी. लंबी **भारत-चीन सीमा** की सुरक्षा के लयि तैनात है।
 - बल को नक्सल वशिधी अभयानों तथा अन्य आंतरकि सुरक्षा कर्त्तव्यों के लयि भी तैनात किया गया है।